निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

पीठासीन अधिकारी – रामसुख गुर्जर (आर०ए०एस०)

प्रार्थना पत्र –08 / 2021

अनवान

1. मुली बाई पत्नी रतना माली निवारी भैंसरोडगढ तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

प्रार्थीया

बनाम

1. श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा जिला चितौडगढ।

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू अधिनियम 1956</u>

निर्णय दिनांक –09.03.2021

प्रार्थनापत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने विपक्षी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत दिनांक 18.02.2021 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के कब्जेकाश्त की आराजीयात ग्राम मंदारचौक प0ह0 भैंसरोडगढ में स्थित है, जिसके आराजी नंबर 1357,1361,1362 रकबा 0.59 है0 है जिसकी जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 की होकर उसमें खातेदार का नाम भूली बाई पत्नी रतना लिखा है, प्रार्थीया के कथनानुसार उक्त आराजी जरिये पंजियन 01.06.2006 खरीदशुदा है, किन्तु भू प्रबन्ध के दौरान नवीन जमाबन्दी तैयार करते समय राजस्व कर्मचारीयों द्वारा प्रार्थीया खातेदार का नाम मूली बाई पत्नी रतना के बजाय भूलवश भूली बाई पत्नी रतना जाति माली कर दिया है, जिसे प्रार्थीया सही करा राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कराने की अधिकारिणी हैं। अन्त में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीया के खातेदारी की आराजी संख्या 1357,1361,1362 के राजस्व रिकार्ड में भूली बाई पत्नी रतना जाति माली के बजाय मूली बाई पत्नी रतना जाति माली दर्ज करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पटवारी हल्का से प्रार्थना पत्र पर वस्तुस्थिति की रिपोर्ट ली गई। हमने प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत पंजीयन दस्तावेज ,नामान्तरण संख्या 1369, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, जनआधार कार्ड, आधार कार्ड, निर्वाचन का पहचान पत्र का व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया।

...............................लगातार

प्रार्थीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रस्तुत ग्राम मंदारचौक की साबिक जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 की खाता संख्या 74 आराजी संख्या 1357,1361,1362 में नाम कृषक में भूली बाई पत्नी रतना जाति माली का अंकन हुआ है, प्रार्थीया नवीन जमाबन्दी में अपने नाम में पूर्ववत पंजीयन व नामान्तरण के आधार पर मूली बाई का अंकन करा संशोधन कराना चाहती हैं। दस्तावेज के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र बाबत इन्द्राज दुरूस्ती का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र बाबत इन्द्राज दुरूस्ती का स्वीकार किया जाकर ग्राम मंदारचौक की जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 की जमाबन्दी में खाता संख्या 74 खसरा संख्या 1357,1361,1362 रकबा 0.59 है0 में अंकित खातेदार भूली बाई पत्नी रतना माली के बजाय मूली बाई पत्नी रतना जाति माली करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2021 को सुनाया गया।

(रामसुख गुर्जर)
पीठासीन अधिकारी उपखंड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर रावतभाटा